छत्तीसगढ़ राज्य हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्या.
बी– 26, सेक्टर– 07, न्यू राजेन्द्र नगर रायपुर

:: बुनकर परिवार सहायता योजना ::

1. प्रस्तावना :–

छत्तीसगढ़ राज्य हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्या. रायपुर के सदस्य प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियों में कार्यरत बुनकरों के परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु यह योजना प्रारंभ की गई है। बुनकर समितियों में कार्यरत बुनकरो के असामयिक मृत्यु पर उनके परिवार के सदस्यों के समक्ष आर्थिक संकट उत्पन्न होता है। इस कारण परिवार के सदस्यों को तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य हाथकरघा संघ द्वारा सहायता दी जाती है।

2. उद्‌देश्य :–

राज्य हाथकरघा संघ से जुड़े बुनकर परिवारों को कार्यशील सदस्यों की आकस्मिक मृत्यु होने पर तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना।

3. पात्रता :–

1. राज्य हाथकरघा संघ रायपुर के सदस्य प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियों के कार्यशील बुनकर सदस्य के परिवार को सहायता की पात्रता होगी।
2. बुनकर परिवार से आशय पति, पत्नी एवं उनके बच्चे।

3. योजना का प्रारंभ :–

प्रदेश के मृत्य बुनकरो के परिवार को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु यह योजना वर्ष 2013–14 से छत्तीसगढ़ राज्य हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्या. रायपुर द्वारा प्रारंभ की गई है।

4. सहायता की राशि :–

योजना के तहत् हाथकरघा संघ के सदस्य समिति के कार्यरत बुनकर की मृत्यु होने पर उनके वारिश को राशि 20,000/– रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

5. आवेदन करने की प्रक्रिया :–

संघ से सम्बद्ध प्राथमिक बुनकर सहकारी समिति के कार्यशील बुनकर सदस्य की मृत्यु होने पर उनके परिवार के नामांकित उत्तराधिकारी (पत्नी/पुत्र/पुत्री) अपने बुनकर सहकारी समिति के माध्यम से आवेदन कर सकते है। प्राथमिक बुनकर सहकारी समिति निम्न दस्तावेजों सहित आर्थिक सहायता हेतु प्रस्ताव जिला हाथकरघा कार्यालय के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य हाथकरघा संघ को प्रेषित करेगें :–

1. कार्यशील बुनकर की मृत्यु का प्रमाण पत्र
2. समिति में सदस्यता संबंधी सदस्य पंजी की छायाप्रति
3. समिति में कार्यशील बुनकर होने का प्रमाण पत्र (मजदूरी भुगतान पंजी की छायाप्रति)

क्रमशः––2

4. वैध उत्तराधिकारी जिसे सहायता राशि प्रदान की जानी है उनका बैंक पासबुक की फोटोकापी
5. परिवार के सदस्य होने के प्रमाण स्वरूप राशन कार्ड की छायाप्रति
6. समिति का प्रस्ताव ठहराव
7. संबंधित सहायक/उप संचालक हाथकरघा का अनुशंसा प्रमाण पत्र

----------X----------